जनपद बिजनौर

प्रेस नोट-थाना हीमपुर दीपा   दिनांक 26.07.2025

थाना हीमपुर दीपा पुलिस ने मु0अ0सं0 91/25 धारा 115(2)/324(4)/191(2) बीएनएस व मु0अ0सं0- 92/2025 धारा 125(b)/352 बीएनएस में वांछित कुल 04 अभियुक्तो को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

अवगत कराना है कि थाना हीमपुर दीपा क्षेत्रान्तर्गत बितरौला फार्म हाउस (स्वामी कुंवर प्रशांत पुत्र महेन्द्र सिंह, निवासी हल्दौर) पर ठेकेदार जाहिद पुत्र हामिद हुसैन निवासी मोहल्ला जोशियान थाना नहटौर जनपद बिजनौर द्वारा आम का ठेका लिया गया था। दिनांक 25.07.2025 को फार्म हाउस के समीप स्थित ग्राम सादाबाद के कुछ युवक बिना अनुमति बाग में आम तोड़ने के उद्देश्य से घुस आए।

ठेकेदार व श्रमिकों द्वारा रोकने पर उक्त युवकों ने मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान फार्म हाउस पर नियुक्त सुरक्षाकर्मी हरिपाल पुत्र भगवन्त निवासी ग्राम मिर्जा मानपुर थाना मदनापुर जनपद शाहजहांपुर व सकते सिंह पुत्र इन्द्रपाल सिंह निवासी ग्राम फाजिलपुर थाना मदनापुर जनपद शाहजहांपुर द्वारा आत्मरक्षार्थ अपनी लाइसेंसी शस्त्र से हवाई फायर किये गये, जिसमें छर्रे लगने से ग्राम सादाबाद निवासी सकावत पुत्र लियाकत घायल हो गया।

इस संबंध में वादी मौ0 जाहिद(प्रथम पक्ष) पुत्र हामिद हुसैन निवासी मौ0 जोशियान कस्बा व थाना नहटौर जनपद बिजनौर द्वारा दी गयी तहरीर को आधार पर थाना हीमपुर दीपा पर मु0अ0सं0 91/25 धारा 115(2)/324(4)/191(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया तथा वादी सकावत अली(द्वितीय पक्ष) पुत्र लियाकत अली निवासी सैदाबात थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर दी गयी तहरीर के आधार पर थाना हीमपुर दीपा पर मु0अ0सं0- 92/2025 धारा 125(B)/352 बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

आज दिनांक 26.07.2025 को थाना हीमपुर दीपा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 91/2025 में वांछित 02 अभियुक्त नजाकत पुत्र लियाकत जनपद बिजनौर व नौशाद पुत्र अजीज निवासीगण ग्राम सैदाबाद थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर व मु0अ0सं0 92/25 में वांछित 02 अभियुक्तगण हरिपाल पुत्र भगवन्त निवासी ग्राम मिर्जा मानपुर थाना मदनापुर जनपद शाहजहापुर व सकते सिंह पुत्र इन्द्रपाल सिंह निवासी फाजिलपुर थाना मदनापुर जनपद शाहजँहापुर को घटना में प्रयुक्त 02 लाईसेंसी बन्दूक 12 बोर (एक D.B.B.L व एक S.B.B.L.) सहित गिरफ्तार किया गया। आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पता-

1.नजाकत पुत्र लियाकत निवासी ग्राम सैदाबाद थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर
2.नौशाद पुत्र अजीज निवासी ग्राम सैदाबाद थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर
3. हरिपाल पुत्र भगवन्त नि0ग्राम मिर्जा मानपुर थाना मदनापुर जनपद शाहजहापुर
4. सकते सिंह पुत्र इन्द्रपाल सिंह नि0 फाजिलपुर थाना मदनापुर जनपद शाहजँहापुर

बरामदगी-

घटना में प्रयुक्त 02 लाईसेंसी बन्दूक 12 बोर (एक D.B.B.L व एक S.B.B.L.)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 जगत सिंह थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर
2.उ0नि0 सुमित कुमार थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर
3.हे0का0 631 सचिन पंवार थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर
4.का0 2426 शक्तिराम थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट– थाना हल्दौर **दिनॉक 26.07.2025**

थाना हल्दौर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 190/25 धारा 352/131/109(1)/351(3)/115(2) बीएनएस से संबंधित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 25.07.2025 को वादिया श्रीमति स्वाति पत्नी अरूण कुमार निवासी मौ0 चौधरियान कस्बा झालू थाना हल्दौर जनपद बिजनौर ने थाना हल्दौर पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1. नवनीत उर्फ सोनू पुत्र सत्यपाल निवासी मौ0 चौधरियान कस्बा झालू थाना हल्दौर जनपद बिजनौर 2.अनुज पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी मौ0 रामलीला कस्बा झालू थाना हल्दौर जनपद बिजनौर व 01 अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादिया के पति अरूण कुमार के साथ गाली गलौच करते हुए जान से मारने की नियत से धारदार हथियारों से वार कर मारपीट की गयी व जाने से मारने की धमकी दी। इस संबंध में तहरीर के आधार पर थाना हल्दौर पर मु0अ0सं0 190/25 धारा 352/131/109(1)/351(3)/115(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही–

आज दिनांक 26.07.2025 को थाना हल्दौर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त नवनीत पुत्र सत्यपाल सिंह निवासी मौ0 चौधरियान कस्बा झालू थाना हल्दौर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। शेष अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

1.नवनीत पुत्र सत्यपाल सिंह निवासी मौ0 चौधरियान कस्बा झालू थाना हल्दौर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1.उ0नि0 कुलदीप कुमार थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।

2.मुख्य आरक्षी 31 अमित कुमार थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।

3.मुख्य आरक्षी 674 अकरम थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट-थाना नगीना देहात **दिनांक 26.07.2025**

थाना नगीना देहात पुलिस ने मु0अ0सं0- 176/2025 धारा 109(1)/352 बीएनएस व धारा 3(2)(v)/3(1)(द)/3(1)(ध) एस0सी/एस0टी0 एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 24.07.2025 को वादी श्री राजेश कुमार पुत्र ऋषिपाल सिंह निवासी ग्राम भदौला थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर ने थाना नगीना देहात पर तहरीर दी कि दिनांक 23.07.2025 को अभियुक्तगण 1.भानू पुत्र ओमप्रकाश 2.यादराम 3.ओमू पुत्र तुलाराम समस्त निवासीगण भदौला थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर द्वारा उसके पुत्र के साथ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए जान मारने की नियत से लाठी-डन्डो से सिर पर वार किये गये,जिससें वह घायल हो गया।

इस संबंध में तहरीर के आधार पर थाना नगीना देहात पर मु0अ0सं0- 176/2025 धारा 109(1)/352 बीएनएस व धारा 3(2)(v)/3(1)(द)/3(1)(ध) एस0सी/एस0टी0 एक्ट पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

आज दिनांक 26.07.2025 को थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त भानू उर्फ पदम पुत्र ओमप्रकाश निवासी ग्राम भदौला थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर को घटना में प्रयुक्त डन्डें सहित गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

भानू उर्फ पदम पुत्र ओमप्रकाश निवासी ग्राम भदौला थाना नगीना देहात जिला बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 राजीव कुमार थाना नगीना देहात बिजनौर।

2. का0 2279 रोहित कुमार थाना नगीना देहात बिजनौर।

3. का0 2479 निखिल कुमार थाना नगीना देहात बिजनौर।